

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VII/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सी एन जी के कम्प्रेसन के प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(3) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सी एन जी के कम्प्रेसन के प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(4) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सी एन जी के कम्प्रेसन के प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008, के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“6. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/अमा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 197(अ) दिनांक 19/03/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 801(अ.) दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि. 479(अ.) दिनांक 07/06/2010 तथा फा. सं. एम(सी)/2012 दिनांक 21/03//2012 के माध्यम से संशोधित किए गए।

66 4715-2

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 2015

F. No. L-MISC/VI/I/2007. —In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

“6. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified vide GSR 197(E) dated 19-03-2008 and amended *vide* G.S.R. 801(E) dated 19-11-2008, G.S.R. 479(E) dated 07-06-2010 and F. No. M(C)/2012 dated 21-03-2012.